न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00493

1. मृतक बजरंगा पुत्र माधोलाल जरिये कायममुकामान :–
   1/1. प्रकाशी बाई पुत्री बजरंगा जाति काछी निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   1/2. उर्मिला बाई पुत्री बजरंगा जाति काछी निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   1/3. सत्यनारायण पुत्र बजरंगा काछी जाति निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   1/4. मृतक हजारी लाल पुत्र बजरंगा जरिये कायममुकामान :–
   1/4/1. शेर सिंह पुत्र हजारी लाल जाति काछी निवासी तलाब ।
   1/5. केसर बाई बेवा बजरंगा जाति काछी निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांगी बाई पत्नी रामनिवास जाति काछी निवासी नीमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. (मृतक) राधा बाई पत्नी भंवर लाल जरिये कायममुकामान :–
   2/1. घनश्याम पुत्र भंवर लाल जाति काछी निवासी नीमोला
   2/2. महावीर पुत्र भंवर लाल जाति काछी निवासी नीमोला ।
   2/3. भरत पुत्र भंवर लाल जाति काछी निवासी नीमोला ।
   2/4. सत्यनारायण पुत्र भंवर लाल जाति काछी निवासी नीमोला ।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, खातौली जिला कोटा ।
4. उप पंजीयन अधिकारी महोदय उप पंजीयन कार्यालय खातौली जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट (मृतक) बजरंगा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम तलाब में प्रार्थी की पैतृक कृषि आराजी पूर्व सेटलमेंट कुल 04 किता रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के साथ उसकी मॉ काली बेवा माधो का प्रार्थी के चाचा धूलिया पुत्र गंगाराम दर्ज रिकॉर्ड है तथा अप्रार्थी क्रम 01 का नाम भी दर्ज है जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर कुल 04 किता रकबा 3.92 हैक्टर कायम किये गये । प्रार्थी के चाचा धूलिया पुत्र गंगाराम के कोई औलाद नहीं थी और न ही उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी को गोद लिया था इसलिए उनका हिस्सा भी प्रार्थी में समाहित होना चाहिए था । राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अप्रार्थी क्रम 02 का नाम धूलिया के हिस्से 1/4 से गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर दिया तो गलत व गैर कानूनी है । प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 02 का नाम खाते से हटवाने का अधिकारी है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के दादा गंगाराम से प्राप्त हुई है तथा प्रार्थीगण के पिता सहित कुल तीन भाई थे प्रत्येक का हिस्सा 1/3 – 1/3 होना चाहिए किन्तु राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने अधिकार सीमाओं से परे जाते हुए प्रार्थी के पिता का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी के चाचा धूलिया का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 01 का 1/2 हिस्से गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर दिया । अप्रार्थी क्रम 01 का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति, संस्था को रहन, बेचान, हिबा, वसीयत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2016 के द्वारा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा अंतिम निस्तारण तक स्थगित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय रूप से अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को सुनकर पूर्व में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया है । उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी पेशी दिनांक 14.12.2016 नियत की गई थी । इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा दिनांक 28.11.2016 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ न्याालय ने उक्त आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रार्थी अपीलान्ट को तलब किये बिना ही उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी को सूचना दिये बिना ही पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 30.11.2006 को स्थगित करने में त्रुटि की है । उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक 24.11.2016 को आगामी पेशी दिनांक 14.12.2016 नियत की गई थी । इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 28.11.2016 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अपीलान्ट को तलब किया बिना ही गैर कानूनी रूप से दिनांक 30.11.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट को प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पेश की गई है जो मेन्टेनेबल नहीं है । रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार हैं, रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को स्थगित किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 निरस्त फरमाया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2013 (1) पेज 123, आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 217, आरआरटी 2014 (1) पेज 523, आआरटी 2015 (1) पेज 633 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनिांक 29.09.2016 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी और दिनांक 30.11.2016 को अप्रार्थी के शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को सूचना दिये बिना पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को स्थगित किया है । यह आगामी तारीख तक दिया गया अंतरिम स्थगन आदेश नहीं है । इस कारण उसके खिलाफ अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल है । पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण में अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनकर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निरस्तारण करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं । साथ ही दिनांक 30.11.2016 का आदेश चूँकि अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जारी किया गया है इसलिए उसको स्थगित किया जाना भी उचित समझते हैं । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होंगे । ऐसी स्थिति में दिनांक 29.09.2016 को अंतरिम रूप से रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं रहन, बेचान नहीं करने के जो आदेश पारित किये गये हैं उसमें कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं । जहॉ तक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीरों का प्रश्न है तो इस प्रकरण में लागू नहीं होती हैं क्योंकि पक्षकार सहखातेदार हैं उनके हिस्से का निर्धारण इस दावे में

होना है । ऐसी स्थिति में अंतरिम रूप से बेचान न करने व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है वह विधि सम्मत है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के भीतर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा